

प्रेषक,

नर्वेद सिंह,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6

लखनऊ

दिनांक 14 सितम्बर, 2018

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ईटगांव, जनपद पीलीभीत के भवन निर्माण हेतु पुनरीक्षित लागत की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4777/17फ/नि०नि०अ०/2018-19, दिनांक 29.06.2018 व अधीक्षण अभियन्ता के पत्र संख्या-3496/17फ/नि०नि०अ०/2017-18, दिनांक 26.02.2018 तथा शासनादेश संख्या-281/2016/2725/पाँच-6-2016-47(नि०)/16, दिनांक 08.11.2016 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 08.11.2016 के द्वारा जनपद पीलीभीत के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ईटगांव के भवन निर्माण हेतु ₹0-131.36 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में ₹0 50.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी तथा उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण हेतु पी०एफ०ए०डी० द्वारा ₹0 159.92 लाख की पुनरीक्षित लागत मूल्यांकित की गयी है।

2- अतएव आपके प्रस्तावानुसार एवं पी०एफ०ए०डी० द्वारा अनुमोदित पुनरीक्षित लागत के अनुसार जनपद पीलीभीत के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ईटगांव के भवन निर्माण हेतु पुनरीक्षित लागत ₹0 159.92 लाख (₹0 एक करोड़ उन्सठ लाख बानबे हजार मात्र) की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं :-

1. वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 में उल्लिखित दिशा निर्देशों/प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी विभागाध्यक्ष/कार्यदायी संस्था की होगी।
3. यह सुनिश्चित किया जाये कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो तथा जिस शीर्ष/मद से धनराशि संक्रमित की जा रही है, में चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।
4. पी०एफ०ए०डी० की शर्तों एवं वित्त बजट अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 30.03.2018 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5. पी0एफ0ए0डी0 द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिसमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
6. प्रश्नगत कार्य प्रत्येक दशा में निर्धारित समयावधि में पूर्ण करा लिया जायेगा।
7. उपर्युक्त स्वीकृति धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
8. अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृति धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक/डाक खाते आदि में नहीं रखी जायेगा।
9. कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेन्टेज चार्ज लिया जायेगा।
10. आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
11. स्वीकृति धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिसके लिये स्वीकृति दी गयी है।
12. प्रश्नगत निर्माण कार्य समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरन्स सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करके ही आरम्भ किया जायेगा।
13. प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप विभाग/कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।
14. प्रायोजना में वर्क इन के कार्यों हेतु सर्विस टैक्स की प्रस्तावित धनराशि को यथावत अनुमन्य किया गया है। वर्क टू बी इन के कार्यों हेतु जी0एस0टी0 की वास्तविक धनराशि नियमानुसार देय होगी।
15. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की डूप्लीकेसी को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
16. शासन द्वारा प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/प्रशासकीय विभाग का होगा।
17. पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में कराये गये कार्यों की लागत को शासन द्वारा प्रायोजना की आंकलित लागत में यथावत सम्मिलित करते हुए लागत को आंकलित किया गया है, जिसका समस्त उत्तरदायित्व प्रशासकीय विभाग/कार्यदायी संस्था का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3- यह आदेश वित्त विभाग के आ0शा0 संख्या-वित्त ई0-3-1872/दस-18 दिनांक 11 सितम्बर, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
नर्वेद सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-301/2018/1754 (1)/पाँच-6-18 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार (लेखा – परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 3- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, उ0प्र0 लखनऊ ।
- 4- अपर निदेशक (नियोजन/बजट) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
- 5- सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
- 6- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, पीलीभीत ।
- 7- अधीक्षण/अधिशाली अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
- 8- मुख्य चिकित्साधिकारी, पीलीभीत ।
- 9- प्रबन्ध निदेशक/सम्बन्धित क्षेत्रीय परियोजना निदेशक, यू.पी.स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0, लखनऊ/ पीलीभीत ।
- 10- वित्त व्यय नियन्त्रण अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
- 11- कार्यालय आदेश पुस्तिका।
- 1- प्रशासकीय स्वीकृति की एक प्रति मूल पत्रावली में।
- 13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
हरनाम
उप सचिव।